A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला	कुल पृष्ठ
35 / प्रा.पत्र / 2019	04.02.2019	14.02.2025	03

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर
आर.ए.एस

बउनवान

1. हरिप्रसाद जैन आ0 श्री चौथमल जाति महाजन निवासी ग्राम सुँसा पंचायत कैथूदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. धन्ना आ0 श्री हरिदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम सुँसा पंचायत कैथूदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. आवंटन परामर्श दात्री समिति जरिय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री वहीद शेख ।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री प्रमोद कुमार सैन।
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से– पैरोकार सरकार ।

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970

निर्णय

8. यह प्रार्थना पत्र विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर भूमि खसरा संख्या 750 / 1066 रकबा 03 बीघा, खसरा संख्या 820 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा (वर्तमान खसरा संख्या 10 / 209 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 11 / 210 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा) वाके ग्राम सुँसा का धन्ना आ0 श्री हरिदेव बैरवा निवासी ग्राम सुँसा पंचायत कैथूदा तहसील नैनवां को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 28.10.1984 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित।

9. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

10. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अवगत कराया कि विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 750 / 1066 रकबा 03 बीघा,खसरा संख्या 820 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा (वर्तमान खसरा संख्या 10 / 209 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 11 / 210 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 07

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी
मु.स. 35/प्रा0पत्र/2019 बउनवान हरिप्रसाद बनाम धन्ना

बीघा) वाके ग्राम सुँसा का आवंटन धन्ना आ0 श्री हरिदेव बैरवा निवासी ग्राम सुँसा पंचायत कैथूदा तहसील नैनवां के नाम परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 28.10.1994 को किया गया था। उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा कभी नहीं रहा है अपितु प्रार्थी ही काबिज चला आ रहा हैं एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में हैं। अप्रार्थी धन्ना द्वारा एक शपथ पत्र निष्पादित कर आवंटित भूमि वर्तमान खसरा संख्या 11/210 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा पर अपना कब्जा नहीं होना स्वीकार किया हैं। आवंटन परामर्शदात्री समिति नैनवां द्वारा आवंटन करने से पूर्व ग्राम व पटवार क्षैत्र के भूमिहीन काश्तकारों की सूची नहीं बनाई और न ही आवंटन के नियमों की पालना की। उक्त भूमि आवंटन करते के पश्चात मौके पर कब्जा नहीं सम्भलाया गया। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आंवटन को निरस्त किया जा सकेगा। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं अतः उक्त आवंटन खारिज किया जावें।

11. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होगा।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस पर मनन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के कथनानुसार उक्त विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 750/1066 रकबा 03 बीघा, खसरा संख्या 820 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा (वर्तमान खसरा संख्या 10/209 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 11/210 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा) वाके ग्राम सुँसा का धन्ना आ0 श्री हरिदेव बैरवा निवासी ग्राम सुँसा पंचायत कैथूदा तहसील नैनवां के नाम परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 28.10.1984 को किया गया था। न्यायालय द्वारा आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर आया कि आवंटी द्वारा खसरा संख्या 750/1066 रकबा 03 बीघा, खसरा संख्या 820 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा के आवंटन हेतु आवेदन किया गया था परन्तु आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा आवंटी को खसरा संख्या 820 रकबा 2 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। आवंटी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं कि उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा हैं इससे यह जाहिर होता हैं भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आंवटन को निरस्त किया जा सकेगा।

13. अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा भूमि खसरा संख्या 820 रकबा 2 बीघा, वाके ग्राम सुँसा का धन्ना आ0 श्री हरदेव बैरवा निवासी ग्राम

अति. कलक्टर

A 6/5

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

मु.स. 35/प्रा0पत्र/2019 बउनवान हरिप्रसाद बनाम धन्ना

सुँसा पंचायत कैथूदा तहसील नैनवां को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 28.10.1984 निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय के भिजवाई जावें।

14. आदेश आज दिनांक 14.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
बून्दी